

उपपरियोजना का नाम- 240 M Span double lane motor bridge over suswa river in bullawala to sattiwala motor road in doiwala dehradun

श्रमिकों हेतु आचरण नियमावली

पुल के निर्माण कार्य हेतु अनुबन्धित फर्म RCC Developers pvt. Ltd. के समस्त कर्मियों एवं श्रमिकों के द्वारा निम्न आचरण नियमावली का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना है-

1. अपने कार्य एवं दायित्वों का योग्यतापूर्वक तथा तत्परता से निर्वाह किया जाना है।
2. श्रमिकों हेतु निर्धारित समस्त कानून एवं नियमों का पालन किया जाना है।
3. कर्मियों, श्रमिकों एवं जनमानस के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा हेतु समुचित प्रबन्ध किया जाना है।
4. कार्यक्षेत्र में कर्मियों एवं श्रमिकों को सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जाना है।
5. श्रमिकों को सुरक्षा उपकरण(PPE Kit) उपलब्ध करा उनका उपयोग कराया जाना है।
6. आपातकालीन संचालन प्रक्रियाओं (Emergency Operating Procedures) का पालन किया जाना है।
7. सभी व्यक्ति विशेष को सम्मान दिया जाना है।
8. विशिष्ट समूह जैसे: महिलाओं, अक्षम व्यक्तियों व अन्य प्रदेश के श्रमिकों आदि के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना है।
9. यौन शोषण व इस हेतु निर्धारित कानून एवं नियमों के सम्बन्ध में समस्त कर्मियों तथा श्रमिकों को जागरूक किया जाना है।
10. किसी भी यौन शोषण की शिकायत को लोक निर्माण विभाग में गठित यौन उत्पीड़न समिति के समक्ष की जानी है।
11. आचरण नियमों का अनुपालन नहीं किये जाने पर सक्षम स्तर को शिकायत दर्ज की जानी है।
12. शिकायत करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध प्रतिकार नहीं किया जाना है।
13. श्रमिकों का दैनिक कार्य समय- प्रातः 9.00 AM से सायं: 6.00 PM तक।
14. श्रमिकों की दैनिक मजदूरी की दर-
  - i. कुशल-
  - ii. अर्द्ध कुशल-
  - iii. अकुशल-
15. आचरण नियमों का अनुपालन नहीं करने पर संबन्धित के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

हस्ताक्षर

श्रमिक का नाम- (समर सिंह)

दिनांक: 05/09/2025



उपपरियोजना का नाम- 240 M Span double lane motor bridge over suswa river in bullawala to sattiwala motor road in doiwala dehradun

श्रमिकों हेतु आचरण नियमावली

पुल के निर्माण कार्य हेतु अनुबन्धित फर्म RCC Developers pvt. Ltd. के समस्त कर्मियों एवं श्रमिकों के द्वारा निम्न आचरण नियमावली का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना है—

1. अपने कार्य एवं दायित्वों का योग्यतापूर्वक तथा तत्परता से निर्वाह किया जाना है।
2. श्रमिकों हेतु निर्धारित समस्त कानून एवं नियमों का पालन किया जाना है।
3. कर्मियों, श्रमिकों एवं जनमानस के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा हेतु समुचित प्रबन्ध किया जाना है।
4. कार्यक्षेत्र में कर्मियों एवं श्रमिकों को सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जाना है।
5. श्रमिकों को सुरक्षा उपकरण(PPE Kit) उपलब्ध करा उनका उपयोग कराया जाना है।
6. आपातकालीन संचालन प्रक्रियाओं (Emergency Operating Procedures) का पालन किया जाना है।
7. सभी व्यक्ति विशेष को सम्मान दिया जाना है।
8. विशिष्ट समूह जैसे: महिलाओं, अक्षम व्यक्तियों व अन्य प्रदेश के श्रमिकों आदि के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना है।
9. यौन शोषण व इस हेतु निर्धारित कानून एवं नियमों के सम्बन्ध में समस्त कर्मियों तथा श्रमिकों को जागरूक किया जाना है।
10. किसी भी यौन शोषण की शिकायत को लोक निर्माण विभाग में गठित यौन उत्पीड़न समिति के समक्ष की जानी है।
11. आचरण नियमों का अनुपालन नहीं किये जाने पर सक्षम स्तर को शिकायत दर्ज की जानी है।
12. शिकायत करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध प्रतिकार नहीं किया जाना है।
13. श्रमिकों का दैनिक कार्य समय— प्रातः 9.00 AM से सायं: 6.00 PM तक।
14. श्रमिकों की दैनिक मजदूरी की दर—
  - i. कुशल—
  - ii. अर्द्ध कुशल—
  - iii. अकुशल—
15. आचरण नियमों का अनुपालन नहीं करने पर संबन्धित के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

हस्ताक्षर - *Mhagank Mishra*

श्रमिक का नाम— *Mhagank Mishra*

दिनांक: 1/9/25



**उपपरियोजना का नाम- 240 M Span double lane motor bridge over suswa river in bullawala to sattiwala motor road in doiwala dehradun**

**श्रमिकों हेतु आचरण नियमावली**

पुल के निर्माण कार्य हेतु अनुबन्धित फर्म RCC Developers pvt. Ltd. के समस्त कर्मियों एवं श्रमिकों के द्वारा निम्न आचरण नियमावली का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना है—

1. अपने कार्य एवं दायित्वों का योग्यतापूर्वक तथा तत्परता से निर्वाह किया जाना है।
2. श्रमिकों हेतु निर्धारित समस्त कानून एवं नियमों का पालन किया जाना है।
3. कर्मियों, श्रमिकों एवं जनमानस के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा हेतु समुचित प्रबन्ध किया जाना है।
4. कार्यक्षेत्र में कर्मियों एवं श्रमिकों को सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जाना है।
5. श्रमिकों को सुरक्षा उपकरण(PPE Kit) उपलब्ध करा उनका उपयोग कराया जाना है।
6. आपातकालीन संचालन प्रक्रियाओं (Emergency Operating Procedures) का पालन किया जाना है।
7. सभी व्यक्ति विशेष को सम्मान दिया जाना है।
8. विशिष्ट समूह जैसे: महिलाओं, अक्षम व्यक्तियों व अन्य प्रदेश के श्रमिकों आदि के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना है।
9. यौन शोषण व इस हेतु निर्धारित कानून एवं नियमों के सम्बन्ध में समस्त कर्मियों तथा श्रमिकों को जागरूक किया जाना है।
10. किसी भी यौन शोषण की शिकायत को लोक निर्माण विभाग में गठित यौन उत्पीड़न समिति के समक्ष की जानी है।
11. आचरण नियमों का अनुपालन नहीं किये जाने पर सक्षम स्तर को शिकायत दर्ज की जानी है।
12. शिकायत करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध प्रतिकार नहीं किया जाना है।
13. श्रमिकों का दैनिक कार्य समय— प्रातः 9.00 AM से सायं: 6.00 PM तक।
14. श्रमिकों की दैनिक मजदूरी की दर—
  - i. कुशल—
  - ✓ ii. अर्द्ध कुशल—
  - iii. अकुशल—
15. आचरण नियमों का अनुपालन नहीं करने पर संबन्धित के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

हस्ताक्षर *Harpal Singh*  
श्रमिक का नाम— (हरप्रीत सिंह)  
दिनांक: 01-09-2025



उपपरियोजना का नाम- 240 M Span double lane motor bridge over suswa river in bullawala to sattiwala motor road in doiwala dehradun

श्रमिकों हेतु आचरण नियमावली

पुल के निर्माण कार्य हेतु अनुबन्धित फर्म RCC Developers pvt. Ltd. के समस्त कर्मियों एवं श्रमिकों के द्वारा निम्न आचरण नियमावली का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना है—

1. अपने कार्य एवं दायित्वों का योग्यतापूर्वक तथा तत्परता से निर्वाह किया जाना है।
2. श्रमिकों हेतु निर्धारित समस्त कानून एवं नियमों का पालन किया जाना है।
3. कर्मियों, श्रमिकों एवं जनमानस के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा हेतु समुचित प्रबन्ध किया जाना है।
4. कार्यक्षेत्र में कर्मियों एवं श्रमिकों को सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जाना है।
5. श्रमिकों को सुरक्षा उपकरण(PPE Kit) उपलब्ध करा उनका उपयोग कराया जाना है।
6. आपातकालीन संचालन प्रक्रियाओं (Emergency Operating Procedures) का पालन किया जाना है।
7. सभी व्यक्ति विशेष को सम्मान दिया जाना है।
8. विशिष्ट समूह जैसे: महिलाओं, अक्षम व्यक्तियों व अन्य प्रदेश के श्रमिकों आदि के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना है।
9. यौन शोषण व इस हेतु निर्धारित कानून एवं नियमों के सम्बन्ध में समस्त कर्मियों तथा श्रमिकों को जागरूक किया जाना है।
10. किसी भी यौन शोषण की शिकायत को लोक निर्माण विभाग में गठित यौन उत्पीड़न समिति के समक्ष की जानी है।
11. आचरण नियमों का अनुपालन नहीं किये जाने पर सक्षम स्तर को शिकायत दर्ज की जानी है।
12. शिकायत करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध प्रतिकार नहीं किया जाना है।
13. श्रमिकों का दैनिक कार्य समय— प्रातः 9.00 AM से सायं: 6.00 PM तक।
14. श्रमिकों की दैनिक मजदूरी की दर—
  - i. कुशल—
  - ii. अर्द्ध कुशल—
  - iii. अकुशल—
15. आचरण नियमों का अनुपालन नहीं करने पर संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

हस्ताक्षर 4-5-21/7

श्रमिक का नाम—(अरुण)

दिनांक: 01-09-2025



उपपरियोजना का नाम- 240 M Span double lane motor bridge over suswa river in bullawala to sattiwala motor road in doiwala dehradun

श्रमिकों हेतु आचरण नियमावली

पुल के निर्माण कार्य हेतु अनुबन्धित फर्म RCC Developers pvt. Ltd. के समस्त कर्मियों एवं श्रमिका के द्वारा निम्न आचरण नियमावली का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना है-

1. अपने कार्य एवं दायित्वों का योग्यतापूर्वक तथा तत्परता से निर्वाह किया जाना है।
2. श्रमिकों हेतु निर्धारित समस्त कानून एवं नियमों का पालन किया जाना है।
3. कर्मियों, श्रमिकों एवं जनमानस के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा हेतु समुचित प्रबन्ध किया जाना है।
4. कार्यक्षेत्र में कर्मियों एवं श्रमिकों को सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जाना है।
5. श्रमिकों को सुरक्षा उपकरण(PPE Kit) उपलब्ध करा उनका उपयोग कराया जाना है।
6. आपातकालीन संचालन प्रक्रियाओं (Emergency Operating Procedures) का पालन किया जाना है।
7. सभी व्यक्ति विशेष को सम्मान दिया जाना है।
8. विशिष्ट समूह जैसे: महिलाओं, अक्षम व्यक्तियों व अन्य प्रदेश के श्रमिकों आदि के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना है।
9. यौन शोषण व इस हेतु निर्धारित कानून एवं नियमों के सम्बन्ध में समस्त कर्मियों तथा श्रमिकों को जागरूक किया जाना है।
10. किसी भी यौन शोषण की शिकायत को लोक निर्माण विभाग में गठित यौन उत्पीड़न समिति के समक्ष की जानी है।
11. आचरण नियमों का अनुपालन नहीं किये जाने पर सक्षम स्तर को शिकायत दर्ज की जानी है।
12. शिकायत करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध प्रतिकार नहीं किया जाना है।
13. श्रमिकों का दैनिक कार्य समय- प्रातः 9.00 AM से सायं: 6.00 PM तक।
14. श्रमिकों की दैनिक मजदूरी की दर-
  - i. कुशल-
  - ii. अर्द्ध कुशल-
  - iii. अकुशल-
15. आचरण नियमों का अनुपालन नहीं करने पर सबन्धित के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

हस्ताक्षर

श्रमिक का नाम- अब्दुल्ला मन्नी एल

दिनांक: 22.8.25



उपपरियोजना का नाम- 240 M Span double lane motor bridge over suswa  
river in bullawala to sattiwala motor road in doiwala dehradun

श्रमिकों हेतु आचरण नियमावली

पुल के निर्माण कार्य हेतु अनुबन्धित फर्म RCC Developers pvt. Ltd. के समस्त कर्मियों एवं श्रमिकों के द्वारा निम्न आचरण नियमावली का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना है—

1. अपने कार्य एवं दायित्वों का योग्यतापूर्वक तथा तत्परता से निर्वाह किया जाना है।
2. श्रमिकों हेतु निर्धारित समस्त कानून एवं नियमों का पालन किया जाना है।
3. कर्मियों, श्रमिकों एवं जनमानस के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा हेतु समुचित प्रबन्ध किया जाना है।
4. कार्यक्षेत्र में कर्मियों एवं श्रमिकों को सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जाना है।
5. श्रमिकों को सुरक्षा उपकरण(PPE Kit) उपलब्ध करा उनका उपयोग कराया जाना है।
6. आपातकालीन संचालन प्रक्रियाओं (Emergency Operating Procedures) का पालन किया जाना है।
7. सभी व्यक्ति विशेष को सम्मान दिया जाना है।
8. विशिष्ट समूह जैसे: महिलाओं, अक्षम व्यक्तियों व अन्य प्रदेश के श्रमिकों आदि के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना है।
9. यौन शोषण व इस हेतु निर्धारित कानून एवं नियमों के सम्बन्ध में समस्त कर्मियों तथा श्रमिकों को जागरूक किया जाना है।
10. किसी भी यौन शोषण की शिकायत को लोक निर्माण विभाग में गठित यौन उत्पीड़न समिति के समक्ष की जानी है।
11. आचरण नियमों का अनुपालन नहीं किये जाने पर सक्षम स्तर को शिकायत दर्ज की जानी है।
12. शिकायत करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध प्रतिकार नहीं किया जाना है।
13. श्रमिकों का दैनिक कार्य समय— प्रातः 9.00 AM से सायं: 6.00 PM तक।
14. श्रमिकों की दैनिक मजदूरी की दर—
  - i. कुशल—
  - ii. अर्द्ध कुशल—
  - iii. अकुशल—
15. आचरण नियमों का अनुपालन नहीं करने पर संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

हस्ताक्षर

अविनाश तिवारी

श्रमिक का नाम—(अविनाश तिवारी)

दिनांक: (18-08-2025)



उपपरियोजना का नाम- 240 M Span double lane motor bridge over suswa river in bullawala to sattiwala motor road in doiwala dehradun

श्रमिकों हेतु आचरण नियमावली

पुल के निर्माण कार्य हेतु अनुबन्धित फर्म RCC Developers pvt. Ltd. के समस्त कर्मियों एवं श्रमिकों के द्वारा निम्न आचरण नियमावली का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना है-

1. अपने कार्य एवं दायित्वों का योग्यतापूर्वक तथा तत्परता से निर्वाह किया जाना है।
2. श्रमिकों हेतु निर्धारित समस्त कानून एवं नियमों का पालन किया जाना है।
3. कर्मियों, श्रमिकों एवं जनमानस के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा हेतु समुचित प्रबन्ध किया जाना है।
4. कार्यक्षेत्र में कर्मियों एवं श्रमिकों को सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जाना है।
5. श्रमिकों को सुरक्षा उपकरण(PPE Kit) उपलब्ध करा उनका उपयोग कराया जाना है।
6. आपातकालीन संचालन प्रक्रियाओं (Emergency Operating Procedures) का पालन किया जाना है।
7. सभी व्यक्ति विशेष को सम्मान दिया जाना है।
8. विशिष्ट समूह जैसे: महिलाओं, अक्षम व्यक्तियों व अन्य प्रदेश के श्रमिकों आदि के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना है।
9. यौन शोषण व इस हेतु निर्धारित कानून एवं नियमों के सम्बन्ध में समस्त कर्मियों तथा श्रमिकों को जागरूक किया जाना है।
10. किसी भी यौन शोषण की शिकायत को लोक निर्माण विभाग में गठित यौन उत्पीड़न समिति के समक्ष की जानी है।
11. आचरण नियमों का अनुपालन नहीं किये जाने पर सक्षम स्तर को शिकायत दर्ज की जानी है।
12. शिकायत करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध प्रतिकार नहीं किया जाना है।
13. श्रमिकों का दैनिक कार्य समय- प्रातः 9.00 AM से सायं: 6.00 PM तक।
14. श्रमिकों की दैनिक मजदूरी की दर-
  - i. कुशल-
  - ii. अर्द्ध कुशल-
  - iii. अकुशल-
15. आचरण नियमों का अनुपालन नहीं करने पर संबन्धित के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

हस्ताक्षर

श्रमिक का नाम- (नन्द किशोर)

दिनांक: (27-07-2025)



उपपरियोजना का नाम- 240 M Span double lane motor bridge over suswa river in bullawala to sattiwala motor road in doiwala dehradun

श्रमिकों हेतु आचरण नियमावली

पुल के निर्माण कार्य हेतु अनुबन्धित फर्म RCC Developers pvt. Ltd. के समस्त कर्मियों एवं श्रमिकों के द्वारा निम्न आचरण नियमावली का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना है—

1. अपने कार्य एवं दायित्वों का योग्यतापूर्वक तथा तत्परता से निर्वाह किया जाना है।
2. श्रमिकों हेतु निर्धारित समस्त कानून एवं नियमों का पालन किया जाना है।
3. कर्मियों, श्रमिकों एवं जनमानस के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा हेतु समुचित प्रबन्ध किया जाना है।
4. कार्यक्षेत्र में कर्मियों एवं श्रमिकों को सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जाना है।
5. श्रमिकों को सुरक्षा उपकरण(PPE Kit) उपलब्ध करा उनका उपयोग कराया जाना है।
6. आपातकालीन संचालन प्रक्रियाओं (Emergency Operating Procedures) का पालन किया जाना है।
7. सभी व्यक्ति विशेष को सम्मान दिया जाना है।
8. विशिष्ट समूह जैसे: महिलाओं, अक्षम व्यक्तियों व अन्य प्रदेश के श्रमिकों आदि के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना है।
9. यौन शोषण व इस हेतु निर्धारित कानून एवं नियमों के सम्बन्ध में समस्त कर्मियों तथा श्रमिकों को जागरूक किया जाना है।
10. किसी भी यौन शोषण की शिकायत को लोक निर्माण विभाग में गठित यौन उत्पीड़न समिति के समक्ष की जानी है।
11. आचरण नियमों का अनुपालन नहीं किये जाने पर सक्षम स्तर को शिकायत दर्ज की जानी है।
12. शिकायत करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध प्रतिकार नहीं किया जाना है।
13. श्रमिकों का दैनिक कार्य समय— प्रातः 9.00 AM से सायं: 6.00 PM तक।
14. श्रमिकों की दैनिक मजदूरी की दर—
  - i. कुशल—
  - ii. अर्द्ध कुशल—
  - iii. अकुशल—
15. आचरण नियमों का अनुपालन नहीं करने पर संबन्धित के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

हस्ताक्षर

SADAB

श्रमिक का नाम— (शादब खान)

दिनांक: (15-07-2025)



उपपरियोजना का नाम- 240 M Span double lane motor bridge over suswa river in bullawala to sattiwala motor road in doiwala dehradun

श्रमिकों हेतु आचरण नियमावली

पुल के निर्माण कार्य हेतु अनुबन्धित फर्म RCC Developers pvt. Ltd. के समस्त कर्मियों एवं श्रमिकों के द्वारा निम्न आचरण नियमावली का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना है—

1. अपने कार्य एवं दायित्वों का योग्यतापूर्वक तथा तत्परता से निर्वाह किया जाना है।
2. श्रमिकों हेतु निर्धारित समस्त कानून एवं नियमों का पालन किया जाना है।
3. कर्मियों, श्रमिकों एवं जनमानस के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा हेतु समुचित प्रबन्ध किया जाना है।
4. कार्यक्षेत्र में कर्मियों एवं श्रमिकों को सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जाना है।
5. श्रमिकों को सुरक्षा उपकरण(PPE Kit) उपलब्ध करा उनका उपयोग कराया जाना है।
6. आपातकालीन संचालन प्रक्रियाओं (Emergency Operating Procedures) का पालन किया जाना है।
7. सभी व्यक्ति विशेष को सम्मान दिया जाना है।
8. विशिष्ट समूह जैसे: महिलाओं, अक्षम व्यक्तियों व अन्य प्रदेश के श्रमिकों आदि के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना है।
9. यौन शोषण व इस हेतु निर्धारित कानून एवं नियमों के सम्बन्ध में समस्त कर्मियों तथा श्रमिकों को जागरूक किया जाना है।
10. किसी भी यौन शोषण की शिकायत को लोक निर्माण विभाग में गठित यौन उत्पीड़न समिति के समक्ष की जानी है।
11. आचरण नियमों का अनुपालन नहीं किये जाने पर सक्षम स्तर को शिकायत दर्ज की जानी है।
12. शिकायत करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध प्रतिकार नहीं किया जाना है।
13. श्रमिकों का दैनिक कार्य समय— प्रातः 9.00 AM से सायं: 6.00 PM तक।
14. श्रमिकों की दैनिक मजदूरी की दर—
  - i. कुशल—
  - ii. अर्द्ध कुशल—
  - iii. अकुशल—
15. आचरण नियमों का अनुपालन नहीं करने पर संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

हस्ताक्षर आमित खाँ

श्रमिक का नाम—(आमित खान)

दिनांक: (15-07-2025)



उपपरियोजना का नाम- 240 M Span double lane motor bridge over suswa river in bullawala to sattiwala motor road in doiwala dehradun

श्रमिकों हेतु आचरण नियमावली

पुल के निर्माण कार्य हेतु अनुबन्धित फर्म RCC Developers pvt. Ltd. के समस्त कर्मियों एवं श्रमिकों के द्वारा निम्न आचरण नियमावली का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना है-

1. अपने कार्य एवं दायित्वों का योग्यतापूर्वक तथा तत्परता से निर्वाह किया जाना है।
2. श्रमिकों हेतु निर्धारित समस्त कानून एवं नियमों का पालन किया जाना है।
3. कर्मियों, श्रमिकों एवं जनमानस के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा हेतु समुचित प्रबन्ध किया जाना है।
4. कार्यक्षेत्र में कर्मियों एवं श्रमिकों को सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जाना है।
5. श्रमिकों को सुरक्षा उपकरण(PPE Kit) उपलब्ध करा उनका उपयोग कराया जाना है।
6. आपातकालीन संचालन प्रक्रियाओं (Emergency Operating Procedures) का पालन किया जाना है।
7. सभी व्यक्ति विशेष को सम्मान दिया जाना है।
8. विशिष्ट समूह जैसे: महिलाओं, अक्षम व्यक्तियों व अन्य प्रदेश के श्रमिकों आदि के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना है।
9. यौन शोषण व इस हेतु निर्धारित कानून एवं नियमों के सम्बन्ध में समस्त कर्मियों तथा श्रमिकों को जागरूक किया जाना है।
10. किसी भी यौन शोषण की शिकायत को लोक निर्माण विभाग में गठित यौन उत्पीड़न समिति के समक्ष की जानी है।
11. आचरण नियमों का अनुपालन नहीं किये जाने पर सक्षम स्तर को शिकायत दर्ज की जानी है।
12. शिकायत करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध प्रतिकार नहीं किया जाना है।
13. श्रमिकों का दैनिक कार्य समय- प्रातः 9.00 AM से सायं: 6.00 PM तक।
14. श्रमिकों की दैनिक मजदूरी की दर-
  - i. कुशल-
  - ii. अर्द्ध कुशल-
  - iii. अकुशल-
15. आचरण नियमों का अनुपालन नहीं करने पर संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

हस्ताक्षर

श्रमिक का नाम- (पवन शर्मा)

दिनांक: (02/07/2025)